न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 273–एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2012 – पारित व्दारा – कलेक्टर, जिला मुरैना – प्रकरण क्रमांक 15/2009–10 स्वमेव निगरानी

तुलसीराम पुत्र बीघाराम जाति जाटव
निवासी रामभजन का पुरा मौजा
विण्डवा क्वारी,तहसील व जिला मुरैना ।---आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र जहारिया
2– संतोषीलाल 3– बद्रीप्रसाद
4– भोगीराम पुत्रगण किशोरीलाल
5– रूपेन्द्र 6– जितेन्द्र पुत्रगण हरीदास
7– श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि मोतीराम
सभी निवासी ग्राम सवजीत का पुरा
तहसील व जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री कृष्ण शर्मा)
(अनावेदक 2 से 7 के अभिभाषक श्री एम0पी0भटनागर)
(अनावेदक क.1 के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 – 3 –2016 को पारित)

कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 15/2009–10 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–11–2012 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर मुरैना के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि अनावेदक क-1 बाबूलाल को दस्यु पीड़ित होने से मौजा विण्डवा स्थित भूमि सर्वे कमांक 26/1 जिसका नया सर्वे नंबर 109 है रकबा 9 वीघा 12 विसवा का पटटा प्रकरण कमांक 14/1972-73 अ 19 से प्राप्त हुआ था, जिसके विकय की अनुमति मॉगने पर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 5-11-92 से विकय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया था फिर भी पटटेदार बाबूलाल ने अनावेदक कमांक 2 से 7 को उक्त भूमि विकय कर दी है एंव विकय पत्र के आधार पर नायव तहसीलदार वृत्त मुरैना ने प्रकरण कमांक 20/1992-93 अ 6 में पारित आदेश दिनांक 20-9-93 से नामान्तरण कर दिया है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में पटटे की भूमि के अंतरण पर रोक होने से पटटा निरस्त कर शासकीय भूमि घोषित की जावे। कलेक्टर मुरैना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 15/2009-10 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 26-11-12 पारित किया एंव भूमि का अंतरण बैध पाने के कारण स्वमेव निगरानी प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 103/12-13 प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 3-1-13 से अपील प्रचलन योग्य न पाने के कारण निरस्त कर दी। तदुपरांत कलेक्टर मुरैना के आदेश विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से आवेदक की कलेक्टर के समक्ष मुख्य शिकायत यह रही है कि अनावेदक क्र-1 बाबूलाल को दस्यु पीड़ित होने से मौजा विण्डवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 26/1 जिसका नया सर्वे नंबर 109 है, रकबा 9 वीघा 12 विसवा का पटटा प्र0 क्र0 14/1972-73 अ 19 से प्राप्त हुआ था, जिसके विक्रय की अनुमति मॉगने पर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 5-11-92 से विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया था फिर भी पटटेदार बाबूलाल ने अनावेदक क्रमांक 2 से 7 को उक्त भूमि विक्रय कर दी है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में पटटे की भूमि के अंतरण पर रोक होने से पटटा निरस्त कर शासकीय भूमि घोषित की जावे। विचार योग्य है कि क्या पटटेदार सन् 1972-73 में प्राप्त पटटे की भूमि को वर्ष 1993 में विक्रय कर सकता है ?

1. **आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-8 - माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :-**

> **" (1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।**
>
> **(2) विधि का निर्वचन - का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन - भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - ऐसे उपबंध के भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।"**

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा - 165 (7-ख) - पटटे की शर्तो का पालन करते हुये 10 वर्ष का समय व्यतीत - पटटाग्रहीता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त - ऐसा भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार हेतु स्वतंत्र है।

कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 15/2009-10 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-11-2012 के अवलोकन से परलिक्षित है कि विद्वान कलेक्टर व्दारा इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 103/12-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-1-13 तथा कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 15/2009-10 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-11-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0बी0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर